


“छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन एवं भुगतान नियम 2021”

राज्य शासन, प्रदेश के सभी कलाकार दलों के पंजीयन एवं कार्यक्रम प्रस्तुति हेतु श्रेणी(ग्रेड)/ मानदेय निर्धारण एवं समान अवसर प्रदाय करने की प्रक्रिया को मानक एवं पारदर्शी बनाने तथा गांवों/ कस्बों/ ग्रामीण इलाकों में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शनों से लोकप्रियता हासिल कर चुके नवोदित कलाकार जो लोक कला के प्रस्तुति एवं प्रदर्शनकारी माध्यम से संरक्षण, संवर्धन में योगदान दे रहे हैं तथा सांस्कृतिक पंचांग के अनुरूप सांस्कृतिक आयोजन में उन्हें अवसर/मंच प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 17 सितम्बर 2021 को प्रकाशित “छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन एवं भुगतान नियम 2021” स्थापित किया गया है।

कार्यालय के पत्र क्रमांक 5284/सं.पु./संस्कृति/21 दिनांक 13.12.2021 के द्वारा “छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन एवं भुगतान नियम 2021” हेतु प्रविष्टियां/आवश्यक दस्तावेज की वांछित जानकारी प्रारूप अनुसार पंजीकृत डॉक के माध्यम से विभाग में जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2022 तक आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु पत्र जारी किया गया था, किंतु वर्तमान में कोविड-19 के दिशा-निर्देश के कारण तिथि में वृद्धि करते हुए संशोधित अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2022 की गई है। विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.cgculture.in पर भी देखी जा सकती है।


संचालक
संस्कृति एवं पुरातत्व